30-8-22	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित हैं। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे मे तशरीफ रखते है। अन्य कार्य मे व्यस्त है। अभिभाषणगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 22-9-22 को पेश हो।
22-9-22	पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता प्रार्थी उप. पत्रावली वास्ते साक्ष्य हेतु आगामी दिनांक 28-9-22 को पेश हो।
28-9-22	पत्रावली पेश हुई प्रार्थी अधिवक्ता उप. वास्ते साक्ष्यवादी आइन्दा अवसर प्रार्थी अतः पत्रावली 18-10-22 को पेश हो।
18-10-22	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी व प्रार्थी के अधिवक्ता को बार-बार रुक रुक कर कई बार आवाजे लगवाई गई प्रार्थी व प्रार्थी के अधिवक्ता हाजिर न्यायालय नही आये। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अदम हाजिर अदम पैरवी में खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुदा नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

1रु. ONE RUPEE INDIA

Reader
Sh. B.L Raika Advocate
द्वारा प्रस्तुत
03-06-20

न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय, लाखेरी जिला बून्दी राजस्थान

प्रार्थनापत्र संख्या / 2020

राधाकिशन आयु 52 वर्ष पुत्र रघुनाथ जाति बैरवा निवासी नवलपुरा हाल निवास कायन हाउस के पीछे ,नई कॉलोनी नयापुरा कोटा राज. मो. 7742575741

-- प्रार्थी ---

----- बनाम -----

राज. राज्य द्वारा तहसीलदार साहब इन्द्रगढ जिला बून्दी राज.

-- अप्रार्थी ---

प्रार्थनापत्र – अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

बाबत – इन्द्राज दुरस्ती ।

मान्यवर,

प्रार्थी श्रीमान से निम्न निवेदन करता है ।

1. यह कि खाता संख्या 127 के खसरा नं. 447 रकबा 0.34 हैक्टर, खसरा नं. 456 रकबा 0.42 हैक्टर, खसरा नं. 457 रकबा 0.46 हैक्टर, खसरा नं. 458 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नं. 459 रकबा 0.25 हैक्टर, खसरा नं. 460 रकबा 0.12 हैक्टर, खसरा नं. 463 रकबा 0.60 हैक्टर, खसरा नं. 464 रकबा 0.72 हैक्टर, कुल किता 8 कुल रकबा 2.96 हैक्टर वाके ग्राम पापडा पंटवार हल्का पापडा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी व खाता संख्या 125 के खसरा नं. 439 रकबा 0.26 हैक्टर वाके ग्राम पापडा पटवार हल्का पापडा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज. में विस्थित है जिसकी जमाबन्धी सम्वत 2075 से 2078 प्रार्थनापत्र के साथ सलंग्न है ।
2. यह कि प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भुमि में प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में राधे पुत्र रुघनाथ हिस्सा 1/4 जाति बैरवा सा. देह खातेदार अकिंत चला आ रहा है जो प्रार्थी के पिता रुघनाथ जी के स्वर्गवास के बाद राजस्व कर्मचारियों ने बिना प्रार्थी को सुचना व सुनवाई का अवसर दिये वगेरह ही प्रार्थी का नाम राधे पुत्र रुघनाथ अकिंत कर दिया है जबकि प्रार्थी का वास्तविक सही एवं शुद्व नाम राधाकिशन पुत्र रुघनाथ जाति बैरवा है।

लगातार 2 पर ---

राधाकिशन राधाकिशन

राधाकिशन

एवं रूघनाथ जी के राधे नाम का कोई लडका वर्तमान मौजुद नही है रूघनाथ की मृत्यु के बाद उनके दो लडके भेरिया ,राधाकिशन पिसरान रूघनाथ जाति बैरवा निवासी नवलपुरा ही वर्तमान में मोजुद है ।

3. यह कि प्रार्थी का सही एवं शुद्व नाम राधाकिशन सरकारी दस्तावेज पहचान पत्र, आधार कार्ड , परिवारीक का राशनकार्ड, पंचायत के रिकार्ड में , बैंक पास बुक में भी राधाकिशन पुत्र रूघनाथ अकिंत हो रहा है ।
4. यह कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में राधे पुत्र रूघनाथ जाति बैरवा निवासी नवलपुरा अकिंत होने से प्रार्थी को लगान ,पिलाई जमा करवाने व केन्द्र / राज्य सरकार के द्वारा कल्याणकारी योजना का लाभ प्राप्त करने से वंचित रहना पडता है जो हानिप्रद है ।
5. यह कि प्रार्थी ने कई मर्तबा राजस्व शिविर , राज. राज्य सरकार के राजस्व कर्मचारियों को अपने नाम का इद्राज दुरस्त किये जाने का निवेदन किया है किन्तु कोई कार्यवाही नही अन्तिम बार दिनांक 30.05.2020 को आवेदन करने में भी कोई कार्यवाही नही हुई और कहा कि गया कि अदालत से आदेश लेकर आवों तबी ही नाम शुद्व होगा यही प्रार्थनापत्र उत्पत्ति का कारण है तबी से लगातार उत्पन्न हो रहा है ।
6. यह कि वाद ग्रस्त कृषि भुमि वाके ग्राम पापडा पटवार हल्का पापडा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज. में विस्थित होने से श्री मान को क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है ।
7. यह कि प्रार्थनापत्र उचित कोर्ट फिस व निश्चित तलबाने पर मध्य प्रस्तुत है ।

प्रार्थना ::---

प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में राधे पुत्र रूघनाथ के स्थान पर राधाकिशन पुत्र रूघनाथ जाति बैरवा अकिंत किये जाने का आदेश फरमावें । अन्य न्यायोचित सहायता जो प्रार्थी प्राप्त करने का कानुनी अधिकारी हो प्रदान की जावें ।

दिनांक 3/6/2020

विनित प्रार्थी

राधाकिशन पुत्र रूघनाथ जाति बैरवा
निवासी नवलपुरा हाल निवास कायन
हाउस के पीछे नई कॉलोनी नयापुरा
कोटा राज.